उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग–2
संख्या– 281 /XIII-II /05आश्वासन/2010 T.C.
देहरादून: दिनांक 11 अप्रैल,2020

अधिसूचना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्वव्यापी कोरोना वायरस (कोविड–19) संकमण को एक महामारी घोषित किये जाने तथा इस वायरस के संकमण के प्रभावी रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में सम्पूर्ण देश व राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण राज्य स्थित मण्डियों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति/आवक कम होने के कारण मूल्य में वृद्धि को रोकने, कृषकों की उपज की बिकी, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने व आम उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर फल व सब्जी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना संख्या–209/XIII(2)/ 2014–05 (आश्वासन)/2010 दिनांक 28.02.2014 के द्वारा प्रदेश के मण्डी क्षेत्रों/समितियों में फल व सब्जियों पर उनके विकय सौदों पर मण्डी अधिनियम,2011 की धारा–27(ग)(दो) के प्राविधानुसार लगाये गये 01 प्रतिशत मण्डी शुल्क व 0.5 प्रतिशत विकास सेस को वर्तमान लॉकडाउन की अवधि तक हटाये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त आदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

3– इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेश/अधिसूचना उक्त सीमा तक अतिकमित समझे जायेंगे।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–281 / XIII (2) /05आश्वासन/2010 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2–सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड।
3–निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी,उत्तराखण्ड।
4–निजी सचिव,मा0कृषि मंत्री जी,उत्तराखण्ड।
5–आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौडीगढवाल।
6–समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7–अध्यक्ष,उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,रूद्रपुर,ऊधमसिंहनगर।
8–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,रूद्रपुर,ऊधमसिंहनगर।
9–समस्त सचिव/अध्यक्ष,कृषि उत्पादन मण्डी समितियों (द्वारा प्रबन्ध निदेशक)
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

प्रेषक,

महाप्रबन्धक (प्रशासन),
उत्तराखण्ड कृषि विपणन बोर्ड,
रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
लघु कृषक कृषि–व्यापार संघ,
नई दिल्ली।
ई–मेल– sfac@nic.in

पत्रांकः कृ0उ0म0स0 / मण्डी शुल्क (1561–IV) / 2020– 32 दिनांक ~~12/04/2020~~ 12/04/2020

विषयः– उत्तराखण्डी की मण्डी समिति क्षेत्रों से फल एवं सब्जी पर मण्डी शुल्क एवं विकास हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भ में अवगत कराना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्वव्यापी कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण को एक महामारी घोषित किये जाने तथा इस वायरस के सक्रमण के प्रभारी रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में सम्मपूर्ण देश व राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण राज्य में स्थित मण्डियों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति / आवक कम होने के कारण मूल्य में वृद्धि को रोकने, कृषकों की उपज की विक्री, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने व आम उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर फल व सब्जी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 281 / XIII-II / 05 आश्वासन / 2010 T.C. दिनांकः 11 अप्रैल, 2020 द्वारा मण्डी क्षेत्रों / समितियों में फल व सब्जियों पर उनके विक्रय के सौदों पर मण्डी अधिनियम, 2011 की धारा–27(ग)(दो) के प्राविधानुसार लगाये गये 01 प्रतिशत मण्डी शुल्क व 0.5 प्रतिशत विकास सेस को वर्तमान लॉकडाउन की अवधि तक हटाया गया है। इस सम्बन्ध में मण्डी समितियों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त अधिसूचना एवं निर्देशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नकःयथोपरि।</u>

भवदीय,

(परितोष वर्मा)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

पृष्ठाकंन संख्या एवं दिनांकःयथोक्त।
प्रतिलिपि– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

viniyaman F.S-67

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्वव्यापी कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण को एक महामारी घोषित किये जाने तथा इस वायरस के सक्रमण के प्रभारी रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में सम्मपूर्ण देश व राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण राज्य में स्थित मण्डियों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति/आवक कम होने के कारण मूल्य में वृद्धि को रोकने, कृषकों की उपज की विक्री, व्यापारियों को प्रोत्साहित करने व आम उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर फल व सब्जी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 281/XIII-II/05 आश्वासन/2010 T.C. दिनांकः 11 अप्रैल, 2020 द्वारा मण्डी क्षेत्रों/समितियों में फल व सब्जियों पर उनके विक्रय के सौदों पर मण्डी अधिनियम, 2011 की धारा–27(ग)(दो) के प्राविधानुसार लगाये गये 01 प्रतिशत मण्डी शुल्क व 0.5 प्रतिशत विकास सेस को वर्तमान लॉकडाउन की अवधि तक हटाया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते है:–

1– मण्डी क्षेत्रों में फल व सब्जियों की आवक दर्ज करने हेतु एक पृथक से पंजिका रखी जायेगी।
2– पंजिका में आवक स्थान/व्यापारी का नाम व जिस आढ़तिया एवं थोक व्यापारी के पास विक्रय/संग्रह का अंकन किया जायेगा।
3– पंजीका में उपरोक्त कृषि उत्पादों के थोक विक्रय का भाव भी अंकित किया जायेगा।
4– ई–नाम पोर्टल पर होने वाले सौदों को विक्रय से नहीं रोका जायेगा एवं पूर्व की भाँति सौदों का अंकन अनुरक्षित रखा जायेगा।
5– फल व सब्जियों पर मण्डी शुल्क समाप्त होने के दृष्टिगत फल व सब्जियों की आवक व मूल्य पर होने वाले प्रभाव के परीक्षण हेतु भी सचिव अपनी आख्या एक सप्ताह के उपरान्त मुख्यालय को उपलब्ध करायेगें।
7– इसके अतिरिक्त फुटकर मूल्य में होने वाले प्रभाव का भी मूल्याकंन सचिव द्वारा किया जायेगा जिसकी आख्या भी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जोयगी।

संलग्नकःअधिसूचना की प्रति।

(निधि यादव)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांकः कृ0उ0म0स0/मण्डी शुल्क (1561–IV)/2020– 31 दिनांक 12/04/2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव, कृषि उतपादन मण्डी समितियां, उत्तराखण्ड।
2. स्टेट कोडिनेटर, ई–नाम, एन0एफ0सी0एल0।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर।
4. विपणन अधिकारी/ विधि अधिकारी,, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (तकनीकी), (वि0/या0), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महाप्रबन्धक (प्रशासन) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड।
8. महाप्रबन्धक (प्रशासन), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड/नोडल अधिकारी, ई–नाम।
9. सचिव कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर।
11. निजी सचिव, मा. कृषि मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी संज्ञानार्थ।
12. आदेश पत्रावली/सूचना प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

11/04/2020
प्रबन्ध निदेशक